APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

हरनारायण बनाम नाथूसिंह वगै०

दावा नं० सन् 142/2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/01/2026 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से मुकर्रर तारीख पेशी दी गई मय आदेश की पालना में दिनांक 9/2/26 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर [illegible]2/2026 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार उप. बहस पर मनन किया। पत्रावली व संलग्न रिपोर्ट व दस्तावेजात का अवलोकन किया। अतः वकील उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी का दावा इस्तकरार, इन्द्राज दुरुस्ती एवं हुक्म इम्तनाई दवाम साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Sd/- 9/2/26 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्या 46/03, 25/2013 (पुराना) 149/2022(नया)
प्रकरण निर्णय दिनांक 09.02.2026

1. हरनारायण आयु 55 वर्ष पुत्र रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी मुकरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा ।
:— वादी

बनाम

1. नाथूसिंह पुत्र सूज्याराम फौत के बजाय —
1/1 मु. बुद्धी आयु 70 वर्ष लगभग बेवा नाथूसिंह
1/2 भगवानसिंह आयु 50 वर्ष पुत्र नाथूसिंह
1/3 कमलसिंह आयु 35 वर्ष पुत्र नाथूसिंह
} समस्त जाति गुर्जर निवासी बाढ बगीची तन श्यालावास कलां तहसील बसवा
:— प्रतिवादीगण

2. रामदयाल आयु 40 वर्ष पुत्र श्योबक्स जाति गुर्जर निवासी मुकरपुरा तह. बसवा
3. रामजीलाल आयु 45 वर्ष पुत्र श्योबक्स जाति गुर्जर निवासी मुकरपुरा तह. बसवा (फौत)
3/1 मुन्नाबाई आयु 50 वर्श
3/2 कमोद बाई आयु 45 वर्श
3/3 भौती बाई आयु 40 वर्श
3/4 गोरधन बाई आयु 38 वर्श
3/5 भूली बाई आयु 35 वर्श
3/6 अन्जूबाई आयु 30 वर्श
3/7 सीमा बाई आयु 28 वर्श
} पुत्रीयों स्वर्गीय रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी मुकरपुरा तह. बसवा जिला दौसा
3/8 हुकमसिंह आयु 32 वर्श पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी मुकरपुरा तह. बसवा जिला दौसा
4. हरीसिंह आयु 35 वर्ष पुत्र श्योबक्स जाति गुर्जर निवासी मुकरपुरा तह. बसवा
5. राजस्थान राज्य लैण्ड होल्डर जरिये नुमाइन्दा तहसीलदार बसवा तहसील बसवा ।
:=— तरतीबी प्रतिवादीगण

"दावा इस्तकरार, इन्द्राज दुरूस्ती एवम् हुक्म इम्तनाई दवामी

प्रकरण निर्णय दिनांक 09.02.2026

वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा भूमि काश्त आराजियात खसरा नम्बर 58 बरकबा 0.68 हैक्टे० वाकै रामा मौजा मुकरपुरा तहसील बसवा के वाकै है जिसके गत सैटिलमेन्ट सम्वत 2052 से पूर्व खसरा नम्बर 44 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा थे। उक्त भूमि वादी के हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 के हिस्सा 1/2 के हक हकूक खातेदारी एवम् कब्जे काश्त की भूमि है जिसे गत सैटिलमेन्ट पूर्व बनाई गई नक्शा शीट सम्वत 2012 में सही दर्शाया गया था। उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या एक का कतई कोई सरोकार नहीं है। तथा प्रतिवादी संख्या एक का उसमें कोई हक हिस्सा कब्जा या अधिकार भी नहीं है उक्त भूमि तन्हा हम वादी एवम् प्रतिवादी

२५६—

संख्या दो लगायत चार के कब्जे काश्त एवम् हक हकूक खातेदारी की भूमि है । प्रतिवादी संख्या 2 के जोधपुर में सेवारत होने से तथा प्रतिवादी संख्या तीन के जयपुर मजदूरी करने चले जाने से तथा प्रतिवादी संख्या चार के अरनियाँ में रेलवे मुलाजिम होने से वे शामिल वादी पक्ष नहीं हो सके है। अतः उन्हें तरतीबी प्रतिवादीगण बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 5 के लैण्ड होल्डर होने से तथा तहसीलदार बसवा के उसका नुमाइन्दा होने से उसे भी तरतीबी प्रतिवादी बनाया गया है । भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 0.34 हैक्टे० तथा खसरा नम्बर 57 रकबा 07 है० रामा मुकरपुरा तहसील बसवा प्रतिवादी नाथूसिंह की खातेदारी की भूमि है जिसके गत सैटिलमैन्ट सम्वत 2052 से पूर्व खसरा नम्बर 52 रकबा एक बीघा 13 बिस्वा था जिसे भी पुरानी नक्शा शीट संवत् 2012 में सही दर्शाया गया था तथा हर दो पक्षकारान के खेत यानि वादीगण को भूमि खसरा नम्बर 44 तथा प्रतिवादी नाथूसिंह के खेत खसरा नम्बर 52 के बीच उक्त नक्शा शीट सम्बत 2012 के अनुसार ही कदीमी से एक फुट ऊँचा तथा तीन फुट चौडा डौला मौके पर कायम चला आता है जो आज भी मौके पर बरकरार है जिसके उत्तर की ओर नाथूसिंह तथा दक्षिण की ओर वादी अपने अपने खेतों पर काबिज काश्त होकर आज दिन तक लगातार मुस्तफीद होते चले आते है। भूमि खसरा नम्बर 58 का वादी एवम् तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 के बीच अभी तकास्मा नहीं हुआ है । लेकिन हमने अपनी मन समाई से मौके पर भूमि बॉट रखी है जिसके अनुसार भूमि खसरा नम्बर 58 के उत्तरी 1/2 हिस्से पर वादी काबिज काश्त है तथा उसमें हर साल में काश्त करके मुस्तफीद होता चला आता है गत फसल उन्हालू में वादी ने ही अपने हिस्से को उक्त भूमि में गेहूँ जो की फसल काश्त की थी तथा उसे दरो करके मुस्तफीद हुआ था । गत सैटिलमेन्ट के दौरान बनायी गयी नई नक्शा शीट में प्रतिवादी नाथूसिंह के ख.नं. 57 रकबा 0.07 हेक्टे० को वादी के खेत खसरा नम्बर 58 को भूमि में कतई गलत प्रकार दर्शा दिया तथा सैटिलमेन्ट कर्मचारियों ने भूमि खसरा नम्बर 56, 57 व 58 को मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत तथा पूर्व नक्शा शीट के विपरीत गलत नई नक्शा शीट बना दी जिसकी जानकारी वादी को अब से पूर्व नहीं हो सकी थी तथा अब जब वादी ने नई नक्शा शीट की नकल दिनांक 28.05.2003 को प्राप्त की तो उससे वादी को सर्वप्रथम सैटिलमेन्ट कार्यवाही के दौरान बनायी गयी उक्त गलत नक्शा शीट को जानकारी हुयी तो वादी ने तुरन्त ही प्रतिवादी नाथूसिंह से उक्त नक्शा शीट को दुरुस्त कराने के लिये कहा लेकिन वह कतई इन्कार हो गया तथा एलानियां कहा कि वह नई नक्शा शीट के मुताबिक वादी को उसके कब्जे काश्त एवम् खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर हाल 58 पूर्व 44 के उत्तरी हिस्से से जबरन बेदखल करेगा तथा पक्षकारान के बने हुए बीच के डौले को बिस्मार करके वादी पक्ष की भूमि उक्त खसरा नम्बर 58 के उत्तरी हिस्से में जबरन अतिक्रमण एवम् अतिचार करके कब्जा गासिवाना करेगा। उपरोक्त हालात में वादी को तुरन्त ही दावा दाखिल करना आवश्यक हुआ है। यदि प्रतिवादी नाथूसिंह को पाबंद नहीं किया गया तो वह खेतों के बीच स्थित डोले को बिस्मार करके वादी के खेत के उत्तरी हिस्से पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा नाजायज कर लेगा जिससे वादी के हकूक खातेदारी का नुकसान होगा तथा उसे नुकसाने अजीम नाकाबिले तायून व तलाफी होगा तथा पक्षकारान के मध्य बिला वजह बेलोस मुकदमें बाजी छिड जावेगी जो बाय से बर्बादी वादी होगी ।बिनाय यौम दावा एवं बिनाय मुखास्मत वादी को दिनांक 28.05.2003 को नकल नई नक्शा शीट प्राप्त करने पर तथा उसमें पक्षकारान के खेतों के दर्ज गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर तथा दिनाँक 28/5/2003 की ही प्रतिवादी नाथूसिंह द्वारा नक्शा दुरुस्ती कराने से इन्कार करने एवम् वादी को उसके खेत के उत्तरी हिस्से से जबरन बेदखल करने एवम् स्वयम् कब्जा गासिवाना

करने हेतु एलानियाँ कहने से अन्दर हदूद अदालत हाजा उत्पन्न हुयी है। अतः दावा अन्दर मियाद पेश है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जाये– यह घोषित किया जावे कि वादी के खेत गत खसरा नम्बर 44 हाल खसरा नंबर 58 तथा प्रतिवादी नाथूसिंह के खेत गत खसरा नम्बर 52 हाल खसरा नम्बर 56 व 57 के बीच कदीमी से स्थित डोला तक वादी के खेत की भूमि स्थित है जिस पर वादी को हकू हकूक खातेदारी एवम् कब्जा काश्त हासिल है। यह कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 56, 57, तथा 58 को नई नक्शा शीट को दुरूस्त कराया जाकर मौके की वास्तविक स्थिति एवम् पूर्व नक्शा शीट के मुताबिक दुरूस्त कराया जाकर सही नक्शा शीट तैयार करायी जावे । यह कि प्रतिवादी नाथूसिंह को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी इस अमर से पाबंद किया जावे कि वह पक्षकारान के खेत के बीच स्थित उपरोक्त वर्णित डोले को तोडने फोडने अथवा उसे किसी प्रकार नुकसान पहुँचाने से तथा उक्त डोले के दक्षिणी और स्थित वादी के कब्जे काश्त एवम् हकूक खातेदारी की भूमि में कतई किसी प्रकार अतिक्रमण करने, अतिचार करने अथवा उसके किसी भी हिस्से से वादी को जबरन बेदखल करने से बाज व मुमतनाह रहे तथा वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में माने अथवा मजाहमत नहीं करें। यह है कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

वादी वाद दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस/सम्मन विधिवत की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03, 4 की ओर से एड. श्री अशोक पोसवाल ने पावर पेश की एवं जबाब दावा पेश किया कि वादपत्र का जिम्मन नंबर 01, 02, 03, 04, 05, 06 स्वीकार है एवं वाद पत्र में चाही गयी इस्तदुआ दादरसी क, ख, ग, घ, च स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर एड. श्री रामकिशोर सैनी, भगवानसहाय सैनी ने पावर पेश कर जबाब पेश किया कि वाद पत्र का पैरा नंबर एक जिस प्रकार तहरीर किया गया है कतई गलत है अस्वीकार है, वाद पत्र का पैरा नंबर 02 जिस प्रकार तहरीर किया गया है कतई गलत है अस्वीकार है महज प्रतिवादीगण नंबर 1 का खेत खसरा नंबर 56 रकबा 0.34 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 57 रकबा 0.07 हैक्टेयर रामा मुकरपुरा तहसील बसवा में स्थित है जिस पर प्रतिवादीगण नंबर 1 बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज भूमि है तथा शांतिपूर्वक अपनी उपरोक्त खातेदारी की भूमि में काश्त कर मुफीद होता चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण नंबर 1 के खेत खसरा नंबर 56, 57 तथा वादी की भूमि खसरा नंबर 52 के मध्य किसी प्रकार का कोई डोला एक फुट ऊँचा व तीन फुट चौडा मौके पर नहीं है। वादी द्वारा कतई गलत व बेबुनियादी तथ्य वाद पत्र में दर्ज किये है। वादी वाद पत्र में इस प्रकार के तथ्य दर्ज कर प्रतिवादीगण नंबर एक की भूमि को जबरन हडपना अतिक्रमण करना चाहता है। वाद पत्र का पैरा नंबर तीन कतई गलत है अस्वीकार है। प्रतिवादीगण नंबर एक नाथूसिंह खेत खसरा नंबर 57 बरकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 56 रकबा 0.34 पर मौके पर काबिज काश्त है जिनका पूर्व का नंबर खेत खसरा नंबर 52 रहा था जिसे बाद में खसरा नंबर 56 व 57 में विभाजित कर दिया गया। प्रतिवादीगण नंबर एक ने खसरा नंबर 52 की भूमि 1 बीघा 13 बिस्वा जरिये बिक्री पत्र खरीद की थी तभी से लगातार प्रतिवादीगण नंबर 1 अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादीगण का इस भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादी द्वारा यह तथ्य भी गलत रूप से दर्ज किया कि खसरा नंबर 57 की भूमि वादी के खेत खसरा नंबर 58 की भूमि में गलत दर्शा दी गयी है। प्रतिवादी नंबर 1 उसकी खरीदशुदा भूमि पर ही काबिज है। वादी द्वारा भूमि दुरूस्ती का जो मुकदमा प्रस्तुत किया गया है वादी को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि प्रतिवादी खेत खसरा नंबर 56 व 57 की भूमि पर ही काबिज है।

वादपत्र का पैरा नंबर 4,5,6 कानूनी है वादी को कोई बिनाय दावा व बिनाय मुखासमत पैदा नहीं हुयी है। वादपत्र में चाही गयी इस्तदुआ दादरसी गलत है स्वीकार नहीं है। अतः जबाब दावा प्रतिवादी संख्या एक की और से प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। प्रकरण में तनकीयात कायम कर साक्ष्य प्रस्तुत की गयी। वादी की ओर से हरनारायण, बाबूलाल, किशोरीलाल के साक्ष्यवादी शपथ पत्र पेश किये गये जिनमे प्रतिवादी वकील द्वारा हरनारायण व बाबूलाल से जिरह की गयी। प्रकरण में पैरोकार सरकार उपस्थित आये एवं दिनांक 21.01.2026 को आदेशिका पर टिप्पणी अंकित की वादी द्वारा पत्रावली में मात्र गत जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की है। प्रमुख दस्तावेज नक्शा ट्रेस शामिल नहीं किया गया है पडोसी कृषकों का भी विवरण नहीं है अतः दावा खारिज योग्य है।

वकील उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार द्वारा वादपत्र पर बहस की। हमने बहस सुनी। बहस पर मनन किया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों का अवलोकन किया। चूंकि वादी को अपना वाद साबित करने का भार स्वयं वादी पर होता है। परंतु वादी द्वारा मुख्य साक्ष्य दस्तावेज, नक्शा ट्रेस आदि व अन्य पडोसी कृषको का विवरण पत्रावली में पेश नहीं कर पाये। वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहे है। अतः दावा वादीगण गुणावगुण के आधार पर प्रमाणित नही होने के कारण वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वकील उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के आधार पर वादी वाद दावा इस्तकरार इन्दाज दुरूस्ती एवं हुक्म इम्तनाई दवामी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया जाकर एवं टंकित करवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई